टी बोर्ड भारत
14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी
कोलकाता-700001

दिनांक: 23.02.2022

कार्यालय आदेश सं0 07/2022

कार्यालय आदेश क्रमांक सं0. 32/2018 दिनांक 17.09.2018 एवं क्रमांक सं0. 04/2022 दिनांक 17.02.2022 के निरस्तीकरण में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 19024/2021-ई-IV दिनांक 31 दिसंबर 2021 के अनुसार, हवाई यात्रा के सभी मामले जहां हवाई यात्रा का खर्च भारत सरकार वहन करती है, हवाई टिकट निम्नलिखित तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों में किसी एक से खरीदे जाएंगे:-

I) मैसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल)
II) मैसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स (एटीटी)
III) भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

19024/2021-ई- IV दिनांक 16 फरवरी, 2022 के माध्यम से आगे स्पष्ट किया गया है कि घरेलू (एलटीसी सहित) और अंतरराष्ट्रीय यात्रा दोनों सरकारी खाते पर हवाई यात्रा निजी एयरलाइंस द्वारा की जा सकती है। हालांकि, टिकट केवल उपरोक्त तीन अधिकृत एजेंटों के माध्यम से ही खरीदे जाएंगे।

प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए निम्नलिखित दिशा-निदेश विस्तृत रूप से दिए गए हैं।

1.	दौरे की मंजूरी के उपरान्त, हवाई टिकट संबंधित अधिकारियों या ऐसे अधिकारियों के निजी सहायक/आशुलिपिक द्वारा पात्रता के अनुसार सस्पेंस अग्रिम लेने के बाद बुक किए जा सकते हैं।
2.	अनुमोदित दौरे के लिए आहरित सस्पेंस अग्रिम को यात्रा पूरी होने के एक सप्ताह के भीतर निरपवाद रूप से निपटाया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर आगे की अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी।
3.	एलटीसी के लिए आहरित सस्पेंस अग्रिम को यात्रा पूरी होने के उपरान्त बोर्डिंग पास सहित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करके एक महीने के भीतर निरपवाद रूप से निपटाया जाना चाहिए।
4.	अत्यावश्यकता के मामले में, अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त अधिकृत ट्रैवल एजेंटों से अपने हवाई टिकट बुक करें, जिसकी प्रतिपूर्ति टी बोर्ड द्वारा दावों की प्रस्तुती के एक सप्ताह के भीतर कर दी जाएगी।
5.	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के सचिवालय शाखा, केवल बोर्ड की बैठक में भाग लेने के वाले अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों के हवाई टिकटों की बुकिंग के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्रभारी)

वितरण:-

1.	बोर्ड मुख्यालय, कोलकाता के सभी अधिकारियों (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	इस अनुरोध के साथ कि निर्देशों का पालन करें और इस कार्यालय आदेश की विषय-वस्तु को अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों तक पहुँचाए।
2.	कार्यकारी निदेशक, गुवाहाटी व कुन्नूर	-वही-
3.	वि स एवं मु ले अ	
4.	नि चा वि, डिब्रूगढ़, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अनु. अ. (उ पू भा) नई दिल्ली और फ स अ , पालमपुर	
5.	उपाध्यक्ष के सचिव	
6.	आई टी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
7.	सचिवालय शाखा	
8.	स्थापना शाखा	
9.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित ।

संदर्भ मिसिल सं0. 26(2)/सचि/2021/पी- IV